34.

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प भोपाल

R - 91-III/14

निगरानी प्रकरण कमांक : ..../13

राजकुवंर बाई पुत्री पदमसिंह पत्नी मनोहरसिंह,
निवासी ग्राम हरनावदा, तहसील आष्टा,
जिला सीहोर, म0प्र0 ..... प्रार्थी

।। विरूद्ध ।।

सौरम बाई पत्नी तखतसिंह, आयु 60 साल,
निवासी ग्राम बमूलिया भाटी, तहसील आष्टा,
जिला सीहोर, म0प्र0 ...... प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 26.08.2013, जो प्रकरण कमांक 53/अपील/2012–13 में न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय आष्टा जिला सीहोर द्वारा पारित किया गया है ।

श्रीमानजी,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है :–

।। तथ्य ।।

1– यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिप्रार्थी ने प्रथम अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी आष्टा, जिला सीहोर के समक्ष नामान्तरण संशोधन पंजी कमांक 06 में पारित आदेश दिनांक 10.12.99 के विरूद्ध एक अपील दिनांक 25.03.2013 को लगभग 13 वर्ष बाद पेश की, जो प्रकरण कमांक 53/अपील/2012–13 के रूप में दर्ज की गई । इसमें प्रतिप्रार्थी ने एक आवेदन पत्र 13 वर्षो का विलम्ब क्षमा करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम का मय शपथ पत्र के पेश किया । उक्त अपील में अपील पेश करने की दिनांक 25.03.2013 को प्रकरण पंजीबद्ध कर रेस्पांडेण्ट को तलब करने का आदेश दिया तथा पेशी तारीख 23.05.2013 नियत की गई, लेकिन रेस्पांडेण्ट/निगरानीकर्ता को तलब न

....2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 91-II/14 जिला सीहोर

राजकुंवर बाई / शीरम बाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-7-16	आवेदक अभिभाषक श्री जगदीश जैन उपस्थित नहीं। कोई पैरवीयों से उपस्थित नहीं। प्रतीत होता है कि अभिभाषक को प्रकरण चलाने में रुचि नहीं है। अतः प्रकरण अरुचि के कारण समाप्त किया जाता है। सदस्य	

[कृ. प. उ.